"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2018 — ज्येष्ठ 18, शक 1940

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2018

अधिसूचना

क्रमांक 2682/1104/2018/रास/यू. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (2) के अंतर्गत एमिटी विश्वविद्यालय, ग्राम मांठ, तिल्दा जिला रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम पांच ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का पेनल प्रस्तुत करने हेतु माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार खोजबीन-समिति का गठन किया गया है :-

1.	प्रो. पी.बी. शर्मा, कुलपति, एमिटी यूनिवर्सिटी, पंचगांव, मानेसर, गुड़गांव-122413 (हरियाणा)	-	प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद
2.	प्रो. जितेन्द्र सिंह, डीन फेकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड डायरेक्टर एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड प्लानिंग, एमिटी यूनिवर्सिटी, जयपुर एनएच 11-सी, कांत कलवार, जयपुर-303002	-	प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद
3.	श्रीमती अरूणा पल्टा, प्राचार्य, शासकीय डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर	-	उच्च शिक्षा विभाग से राज्य शासन द्वारा नामांकित एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति

2. माननीय कुलाध्यक्ष द्वारा प्रो.पी.बी. शर्मा को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. उपर्युक्त समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने से आठ सप्ताह की समयावधि में पांच ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का पेनल माननीय कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-

(रोक्तिमा यादव)
राज्यपाल के उप सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.